बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
पत्रांक : न०रू०यो०–81 / 2026– 2318

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
क्षेत्रीय कार्यालय–पटना।

पटना, दिनांक 06/10/26

विषय : पूर्वी लिंक नहर के कि०मी० 2.80 पर अवस्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के उपरांत अस्थायी स्टील ब्रीज निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक–NHAI/RO-PAT/NH-119D/2026/2038 दिनांक 07.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में निदेशानुसार मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग औरंगाबाद परिक्षेत्राधीन पूर्वी लिंक नहर के कि० मी० 2.80 पर अवस्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के उपरांत अस्थायी स्टील ब्रीज निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है :–

1. प्रस्तावित अस्थायी Steel Bridge का निर्माण इस तरह से किया जाए कि निर्माण के दौरान/पश्चात् उक्त नहर का जलस्राव बाधित न हो।
2. अस्थायी पुल निर्माण कार्य के दौरान नहर/वितरणी रूपांकित आकार (Design Section) किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।
3. क्षेत्रीय पदाधिकारी से नहर से संबंधित आंकड़ा प्राप्त कर संरचना का नींव, रूपांकित नहर Bed Level से नीचे तथा अस्थायी स्टील ब्रीज के Girder का Bottom Level नहर के F.S.L+F.B से उपर रहेगा जिससे कि free board encroach न हो।
4. पुल निर्माण कार्य के दौरान/उपरान्त निरीक्षण सेवा पथ पर सुविधाजनक Gradual Slope कर आवागमन बनाना होगा तथा सेवापथ एवं बाईपास पथ के क्रॉसिंग के पास सूचनात्मक सड़क संकेत का व्यवस्था करेंगे।
5. नहर के अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम एवं स्लोप एवं बेड में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य (Protection Works) विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के देखरेख में उनके द्वारा बताये गये लम्बाई में करना होगा।
6. प्रस्तावित कार्य के लिए अगर नहर के अंदर किसी प्रकार की Activity करने की आवश्यकता हो तो वैसे कार्य को नहर बंदी के अवधि में कराना होगा जिससे की नहरों से सिंचाई हेतु जलस्राव बाधित नहीं हो। निर्माण कार्य नहर बंदी अवधि में कराना होगा।

7. निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के दृष्टिकोण से वाहन एवं व्यक्तियों के सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था प्रयोक्ता को करना होगा।
8. नहर के जलस्राव को सुगमतापूर्वक प्रवाहित करने हेतु प्राप्त कराये गये नहर के Hydraulic Particulars के अनुरूप, बिना किसी बदलाव के कार्य करना होगा ताकि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो।
9. नहर के Bed Width के अनुसार प्रस्तावित अस्थायी पुल का निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है।
10. नहर, बॉध एवं संरचना किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो।
11. नहर के चाट भूमि या नहर तल से मिट्टी नहीं काटी जाय।
12. रूपांकण एवं रेखांकण अद्यतन I.S कोड के अनुरूप कराना अनिवार्य होगा एवं कार्य की गुणवत्ता की जवाबदेही प्रयोक्ता विभाग की होगी।
13. नहर के पूर्व से लगे आउटलेट के व्यास (Diameter) में कोई बदलाव नहीं की जाय।
14. नहर का विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
15. नहर के बॉध एवं चाट भूमि अंतर्गत प्रस्तावित कार्य जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के देख–रेख में करना होगा।
16. प्रस्तावित पुल निर्माण के दौरान किसी भी परिसम्पति का क्षति होने पर विभागीय पदाधिकारियों के निदेशानुसार प्रयोक्ता विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
17. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work) जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में आवश्यक पाया जाएगा, उसे प्रयोक्ता विभाग द्वारा करना होगा।
18. कार्यकारी एजेन्सी NHAI के परियोजन पूर्ण होने के उपरांत अस्थायी लोहे का पुल को एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर हटाना होगा। इसके साथ क्षतिग्रस्त लाईन नहर का पुनर्स्थापन करना होगा।
19. मिट्टी खुदाई से पूर्व Call Before You Dig (CBuD) app में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
20. प्रयोक्ता द्वारा विभागीय भूमि का उपयोग विभागीय अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
21. प्रस्तावित पुल निर्माण के गुणवत्ता एवं संरचना स्थायित्व की पूर्ण जिम्मेवारी प्रयोक्ता विभाग NHAI की होगी।
22. अस्थायी संरचना (लोहे का पुल) का निर्माण पूर्णतः अस्थायी रूप से किया जायेगा।
23. अस्थायी संरचना (लोहे का पुल) का निर्माण पूर्णतः NHAI के निजी प्रयोग हेतु निर्माण किया जायेगा एवं इस आशय का सूचना पर अस्थायी संरचना के दोनों तरफ लगाना होगा जिस पर बड़े बड़े अक्षरो में यह अंकित होगा "यह अस्थायी पुल का उपयोग आम जनों हेतु वर्जित है"।
24. अस्थायी संरचना (लोहे का पुल) का स्थायित्व मजबूत एवं सुरक्षित रखने की जवाबदेही NHAI की होगी साथ ही अस्थायी संरचना (लोहे का पुल) का निर्माण एवं उपयोग के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना/दुर्घटना होती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व, देयता एवं पुनर्स्थापन की जवाबदेही NHAI की होगी।
25. अस्थायी संरचना (लोहे का पुल) के निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओ इत्यादि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाना होगा। संरचनाओं इत्यादि क्षति होने पर उक्त के पुनर्स्थापन की जवाबदेही एवं देयता NHAI की होगी।

26. Canal Morphology, Site Condition and Environmental Changes के दृष्टिगत यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र सरकारी कार्यहित में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
27. कार्य आरम्भ एवं समाप्ति के सम्बंध में जल संसाधन विभाग के सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को ससमय सूचित किया जाना अनिवार्य होगा एवं जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
28. प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी भी परिस्थिति में जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
29. कार्य समाप्ति के पश्चात् स्थल पर शेष रह गये सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिये जाने का दायित्व NHAI का होगा।
30. आपात स्थिति उत्पन्न होने पर विभागीय पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में अस्थायी संरचना (लोहे का पुल)/पहुँच पथ/अवरोध को तत्काल हटाये जाने की जवाबदेही NHAI की होगी।
31. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धांतिक सहमति में दिये गये शर्तो को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना होगा।
32. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"
33. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित निर्गत सैद्धांतिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

06/10/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : न०रू०यो०–81/2026– 2318 पटना, दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/अधीक्षण अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : न०रू०यो०–81/2026– 2318 पटना, दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग को आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय